

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या-15 महोदय सुलतानपुर

05 - 642) 20

स्थायि
सिविल क.

रामशब्द मिश्रा आयु लगभग 86 वर्ष सुत गनपत मिश्रा निवासी ग्राम पयागीपुर
तहसील सदर परगना गीरानपुर जनपद सुलतानपुर वादी

बनाम

1—विनोद पाण्डेय उम्र लगभग 52 वर्ष सुत लालमणि पाण्डेय निवासी बघराजपुर
परगना गीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर

2—रामदत्त मिश्रा आयु लगभग 70 वर्ष सुत गनपत मिश्रा

3—राजमणि मिश्रा आयु लगभग 40 वर्ष }
4—सूर्यमणि मिश्रा आयु लगभग 50 वर्ष } सुतगण कृष्णकान्त मिश्रा

निवासीगण ग्राम पयागीपुर तहसील सदर परगना गीरानपुर जनपद सुलतानपुर

प्रतिवादीगण

साठवादसं-

/2020

दायरा तिथि—

दावा स्थायी व्यादेश

महोदय,

प्रार्थी विम्न प्रकार से निवेदन करता है :—

धारा 1—गह कि प्रार्थी/वादी निवासी निवासी ग्राम पयागीपुर तहसील सदर परगना गीरानपुर जनपद सुलतानपुर का रथायी निवासी है अपने पूर्वजों के

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या-15 महोदय सुलतानपुर
रामशब्द मिश्रा वादी रामदत्त मिश्रा आदि—
साठवादसं- /2020 दायरा तिथि—

समय से खेती बारी रिहायशी अखिल्यार करता चला आ रहा है। जिस पर—
काविज एवं दखील है।

धारा 2—यह कि विवादित भूमि का नक्शा नजरी दिया जा रहा है जो बरंग सुर्खे
अंक्षर अ, ब, स, द से दर्शित किया गया है और सभी चीजों यथा स्थान
दिखाया गया है जो बाद पत्र का अभिन्न अंग है।

धारा 3—यह कि विवादित गाठा संख्या—107 रकमा—0.3150 जिसमें वादी
प्रतिवादीगण 2 ता 4 को हिस्सा व स्वामित्व है। जिसमें अपने सुविधानुसार
उपयोग उपयोग कर रहे और उक्त गाठा संख्या में किसी को भी बैनामा व
विक्रय नहीं किया गया है।
इतालाँकि संदर्भात्मक ग्रीकती बैलाशा देवी घृतक
है।

धारा 4—यह कि विवादित भूमि कामर्शियल फोरलेन के किनारे स्थित है जिसमें
प्रतिवादी सं0—1 काफी सरहंग डीलर व्यक्ति है जिसकी नियत उक्त
विवादित भूमि पर गलत हो चुकी है जिससे प्रतिवादी का कोई वास्ता
सरोकार नहीं है न ही कब्जा दखल है।

धारा 5—यह कि विवादित भूमि में दिनांक—02.07.2020 ई0 को जेओसीओबी० मशीन
से खुदाई करने और नापजोख फीता फावड़ा लेकर प्रतिवादी कान्स्ट्रक्शन
कब्जे का प्रयास किया। वादी को जानकारी होने पर पहुँचा और विरोध
किया लेकिन प्रतिवादीगण पूरी तरह से अमादा फौजदारी हो गये। वादी
की आयु लगभग 86 साल है। चलने फिरने में अस्मर्थ है और सम्भान्त
व्यक्तियों के पहुँचने पर मामला किसी तरह मौके पर शान्त हुआ लेकिन
प्रतिवादीगण ऐलानिया धमकी दिये कि दोबारा आयेगे तो नींव खोदवाकर
निर्माण व कब्जा कर लेंगे।

धारा 6—यह कि गूमिधरी आराजी में सामिलात हिस्सेदारान के हित निहित है
इसलिये प्रतिवादी सं0—2 ता 4 को प्रोफार्मा डिफेन्डेन्ट बनाया जा रहा है।

धारा 7—यह कि बाद का मूल कारण दिनांक—02.07.2020 ई0 को प्रतिवादीगण
द्वारा देने धमकी कर लेने कब्जा व निर्माण के पश्चात सुनवाई के

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या—15 महोदय सुलतानपुर
रामदत्त मिश्रा आदि
वनाम—रामशब्द मिश्रा—

361
४

धोत्राधिकार श्रीमान जी के न्यायालय में पैदा हुआ इसलिए दावा दायर किया जाना लाजिम हुआ है।

धारा 8-यह कि विवादित भूमि की मालियत मु0-1000000/रुपया कायम की जाती है चूंकि दावा स्थायी व्यादेश का है इसलिये 10,00000/रुपये का 1/5 भाग मु0-दो लाख रुपया होता है जिसकी अदायगी अधिकतम कोर्ट फीस मु0-500/रुपया अदा की जा रही है।

याचना

वादी निम्न याचना पाने का अधिकारी है-

- अ- डिक्री दावा स्थायी व्यादेश बहक वादी प्रतिवादी सं0-2 ता 4 बिरुद्ध प्रतिवादी सं0-1 इस अम्र की सादिर फरमाया जावे कि विवादित भूमि पर न कोई निर्माण करे न कब्जा करे और न ही वादी के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करे।
- ब- खर्च मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं0-1 से दिलाया जाय।
- स- अन्य याचना जो न्यायालय श्रीमान जी उचित एवं आवश्यक समझे प्रदान करे।

सराहत जायदाद

सराहत जायदाद स्थित ग्राम पयागीपुर तहसील सदर परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर जिसे वाद पत्र के साथ अक्षर अ, ब, स, द से प्रदर्शित किया जा रहा है (ग्राम सं0-107)

न्यायालय श्रीमान शिविल जज (प्र०ख) कक्ष संख्या-15 महोदय सुलतानपुर रामशब्द मिश्र अदिवासी वनाम रामशब्द मिश्र अदिवासी वनाम

मैं वादी स्वयं तर्दीक करता हूँ कि वाद वाद पत्र धारा 1 ता 7 मेरे निजी ज्ञान से सही व रात्य है इसमें न तो कुछ झूठ है और न कुछ छिपाया गया है और धारा 8 व याचना के सही होने की उम्मीद करता हूँ। सच बोलने में ईश्वर मेरी मदद करे तर्दीक रथन दीवानी न्यायालय जनपद सुलतानपुर। तर्दीक मिश्र

रामशब्द (मिश्र) सुलतानपुर मिश्र

निवासी ग्राम पयागीपुर तहसील सदर

परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर

दारा

अधिवक्ता १७.७.२०

अधिवक्ता

मिश्र

गोप्य अधिकार समिति चौरा (वाराण्सी) का निवास
मालवीय - लुलतानाम


रामकालू

लिहाड़ा बाजार


बाजार

मालवीय

प्रदेशीय



गोप्य अधिकार समिति चौरा



गोप्य अधिकार समिति

रामकालू

दिनांक ८.७.२०

दिनांक ८.७.२०

दिनांक ८.७.२०

न्यायालय सिविल जज (प्रबर खण्ड) कक्ष सं0-15
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या- ६५२/२०

बनाम

दिनांक ७४/८/२०

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ।
अधलोकित। अंगीकारण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो। वाद दिनांक ७४/८/२० को
वास्ते बयान तहरीरी एवं दिनांक ६१४/८/२० को वास्ते विरचित किये जाने
वालविन्दु पेश हो। विषयी को सम्मान जारी हो वादी पैरवी तीन दिन में करे।

सिविल जज (प्रबर खण्ड),
कक्ष सं0-15 सुलतानपुर

६ग2 प्रार्थनापत्र हुक्म इमिनाई चान्दरोजा अन्तर्गत आदेश ३९ नियम १ व २
जाहीर।

६ग2 शपथपत्र।

७ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश २६ नियम १ जाहीर प्रस्तुत किया
गया।

(सदीप कुमार)

सिविल जज (प्रबर खण्ड) कक्ष सं0-15
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।

नूल बाद संख्या 642/2020

रामशंकर ----- बनाम ----- विनोद पाण्डेय।

दिनांक-08.07.2020.

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध अंतरिम नियेधाज्ञा के अनुसूतों पर हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी विद्वान अधिकारी को एक पक्षी रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा बाद भूमि दर्शित अंश अ, ब, स, द नक्शा बाद को गाटा संख्या 107 रकमा 0.3150 हेक्टेक्टर को अपनी संकुमणीय भूमेधारी होना कहा है एवं नक्शा बाद पत्र में विवादित भूमिखण्ड को लखनऊ, बनारस रोड पर। उसे उत्तर होना दर्शित किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत बन्दोबस्ती नक्शा को अवलोकन से संपष्ट है कि गाटा संख्या 107 के दक्षिण गाटा संख्या 108 और 109 स्थित है। उसके पश्चात् दक्षिण में लखनऊ, बनारस रोड स्थित है। वादी द्वारा नक्शा बाद पत्र में जिस रथान पर विवादी संख्या 107 होना दर्शित किया गया है। नक्शा बन्दोबस्ती में उस रथान पर गाटा संख्या 108 या 109 होना दर्शित है। अतः ऐसे में अंतरिम नियेधाज्ञा का आदेश दिये जाने से पूर्व विवादी संख्या 01 को सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण ने नोटिस जारी हो। आपको आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली बास्ते निरस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 में आपको दिनांक 08.07.2020 को पेश हो।

७४०८-२८
(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-१५
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम ७ वरिंग अमीन अदालत बाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अनुसूतन किया।

प्रार्थना पत्र 7-2 रखोका दिया जाता है। नभू दैर्घ्यी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को जाहाजुकता नियुक्त किया जाता है। बाद पैरवी जाहाजुकता को परवाना जारी हो। बादायुक्त उभयपक्ष को सुनित कर नियमानुसार बाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

७४०८-२८
(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-१५
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज (प्र० ख०) - कक्ष संख्या-15, सुलतानपुर

मूल वाद संख्या-642/2020
रामशंकर — वनाम — विजोद पाण्डेय आदि।

दिनांक-16.07.2020

26
3

प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.07.2020 अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 जा० दी० प्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय श्रीमान् जी यहां प्रार्थी ने एक दावा दायर किया है जिसमें कुछ लिपिकीय त्रुटि होने के कारण जरिए दुरुरती दुरुस्त कर पाना संभव नहीं है। इसलिए दावा वापस किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

सुना व पत्रावली को अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दावा उठाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र वादी आशय हित में रखीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.07.2020 रखीकार किया जाता है। वादी को दावा उठाये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय नियमानुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर करें।

16.07.2020

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष संख्या-15,
सुलतानपुर।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या—15 महोदय सुलतानपुर

०५- ६९२/२०

रामशब्द मिश्रा आयु लगभग 86 वर्ष सुत गनपत मिश्रा निवासी ग्राम पयागीपुर
तहसील सदर परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर ————— वादी

बनाम

1—विनोद पाण्डेय उम्र लगभग 52 वर्ष सुत लालमणि पाण्डेय निवासी बघराजपुर
परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर

2—कैलाशा देवी आयु लगभग ५० वर्ष पत्नी ~~कृष्णकान्त~~ मिश्रा

3—सूर्यमणि मिश्रा आयु लगभग 50 वर्ष }

4—राजमणि मिश्रा आयु लगभग 40 वर्ष } सुतगण कृष्णकान्त मिश्रा

5—रामदत्त मिश्रा आयु लगभग ५२ वर्ष सुत गनपत मिश्रा

निवासीगण ग्राम पयागीपुर तहसील सदर परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर

प्रतिवादीगण

साहारासं—

/ 2020

दायरा तिथि—

दावा स्थायी व्यादेश

महोदय,

प्रार्थी निम्न प्रकार से निवेदन करता है :-

धारा 1—यह कि प्रार्थी/वादी निवासी निवासी ग्राम पयागीपुर तहसील सदर
परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर का स्थायी निवासी है अपने पूर्वजों के

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या—15 महोदय सुलतानपुर
रामशब्द मिश्रा वादी ————— रामदत्त मिश्रा आदि
बनाम ————— / 2020 दायरा तिथि—
साहारासं—

३१/३

समय से खेती बारी रिहायशी अखिलयार करता चला आ रहा है। जिस पर काबिज एवं दखील है।

धारा 2—यह कि विवादित भूमि का नक्शा नजरी दिया जा रहा है जो बरंग सुर्ख अक्षर अ, ब, स, द, य, र, ल, व से दर्शित किया गया है और सभी चीजों यथा स्थान दिखाया गया है जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है।

धारा 3—यह कि विवादित गाटा संख्या—107 रकबा—0.3150 तथा गाटा संख्या—31 रकबा—0.1510 है। जिसमें वादी प्रतिवादीगण 2 ता 5 का हिस्सा व स्वामित्व है। जिसमें अपने सुविधानुसार उपयोग उपभोग कर रहे और गाटा संख्या—107 में किसी को भी बैनामा व विक्रय नहीं किया गया है।

धारा 4—यह कि गाटा संख्या—31 की विवादित भूमि जुज भाग है जिसमें वादी और प्रतिवादीगण 2 ता 5 का तामीरात मकान कायम है जिसका वादी व प्रतिवादी सं0—2 ता 5 स्वामी है तथा कब्जा व दखल है।

धारा 5—यह कि विवादित भूमि गाटा संख्या—107 फोर लेन के किनारे स्थित है जिस पर नियत प्रतिवादी सं0—1 की खराब हो चुकी है और विवादित भूमि से प्रतिवादी का कोई वास्ता सरोकार किसी भी प्रकार से नहीं है।

धारा 6—यह कि विवादित भूमि वादी तथा प्रतिवादी सं0—2 ता 5 का सामिलात 1/3 हिस्सा है। जिस पर काबिज व दखील है।

धारा 7—यह कि गाटा संख्या—31 रकबा—0.1510 है। जिसमें सभी हिस्सेदारानों ने रकबा—००१० विक्रय किया है। शेष रकबा—००५० पर अपना मकानियत तामीरात कायम किया है। जिस पर काबिज व दखील है। जिसकी चौहददी जानिब उत्तर रास्ता, जानिब पूरब रास्ता, जानिब दक्षिण शेष विक्रीत भूमि तथा जानिब पश्चिम शेष विक्रीत भूमि स्थित है। जिस पर प्रतिवादी नं0—1 कोई वास्ता सरोकार नहीं है न ही सम्पूर्ण आराजी के राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०व०) कक्ष संख्या—15 महोदय सुलतानपुर
रामदल्लत मिश्रा आदि
बैनाम—रामशब्द मिश्रा—/ 2020 दायरा तिथि—
साठवाँ०स०—

४५

धारा 8—यह कि विवादित भूमि में दिनांक—10.07.2020 ई0 को प्रतिवादी नं०—१

नाप जोख व जे०सी०बी० मशीन लेकर खन, खोद एवं तामीरात को गिरा देने की नियत से कान्स्ट्रक्शन करने का प्रयास किया वादी को जानकारी होने पर पहुँचा और विरोध किया और जे०सी० बी० मशीन के ड्राइवर को नीचे उतारा जिस पर प्रतिवादी व उनके अराजक तत्वो द्वारा विरोध किया गया तथा अमादा फौजदारी हो गये। बगल के चौकी के हस्तक्षेप करने के पश्चात मामला शान्त हुआ लेकिन प्रतिवादी सरहंग किस्म का आदमी है। ऐलानिया धमकी दिया कि दोबारा आयेगे तो तामीरात को गिराकर कब्जा कर लेगे। प्रतिवादी अपने बेजा हरकत से बाज आने को तैयार नहीं है इसलिए दावा दायर करना लाजिम हुआ है।

धारा 9—यह कि प्रतिवादी सं०—२ ता ५ का हित निहित है इसलिए प्रोफार्सा डिफेन्ट बनाया जा रहा है।

धारा 10—यह कि वाद का मूल कारण दिनांक—10.07.2020 ई0 को प्रतिवादीगण द्वारा देने धमकी कर लेने कब्जा व निर्माण के पश्चात सुनवाई के क्षेत्राधिकार श्रीमान जी के न्यायालय में पैदा हुआ इसलिए दावा दायर किया जाना लाजिम हुआ है।


धारा 11—यह कि विवादित भूमि की मालियत मु०—1000000 / रुपया कायम की जाती है चूंकि दावा स्थायी व्यादेश का है इसलिये 10,00000 / रुपये का 1/5 भाग मु०—दो लाख रुपया होता है जिसकी अदायगी अधिकतम कोर्ट फीस मु०—500 / रुपया अदा की जा रही है।

याचना

वादी निम्न याचना पाने का अधिकारी है—

अ— डिक्री दावा स्थायी व्यादेश बहक वादी प्रतिवादी सं०—२ ता ५ विरुद्ध प्रतिवादी सं०—१ इस अप्र की सादिर फरमाया जावे कि विवादित भूमि पर

न्यायालय श्रीमान स्थिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या—१५ महोदय मुलतानपुर
रामशंद मिश्रा—बनाम—रामदल्ला मिश्रा आदि
उपराज्यकालीन न्यायालय

न कोई निर्माण करे न कब्जा करे और न ही वादी के उपयोग उपभोग में  हस्तक्षेप करे।


ब— खर्च मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं०—१ से दिलाया जाय।


स— अन्य याचना जो न्यायालय श्रीमान जी उचित एवं आवश्यक समझे प्रदान करे।


सराहत जायदाद


सराहत जायदाद गाठा संख्या—107 का सम्पूर्ण और गाठा संख्या—31 का जुज भाग रकबा—०५० हेठो स्थित ग्राम पयागीपुर तहसील सदर परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर जिसे वाद पत्र के साथ अक्षर अ, ब, स, द, य, र, ल, व से प्रदर्शित किया जा रहा है।


मैं वादी स्वयं तस्दीक करता हूँ कि वाद वाद पत्र धारा 1 ता 10 मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य है इसमें न तो कुछ झूठ है और न कुछ छिपाया गया है और धारा 11 व याचना के सही होने की उम्मीद करता हूँ। सच बोलने में ईश्वर मेरी मदद करे तस्दीक स्थान दीवानी न्यायालय जनपद सुलतानपुर। तस्दीक दिनॉक—



रामशब्द मिश्रा सुत गनपत मिश्रा
निवासी ग्राम पयागीपुर तहसील सदर
परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर

 द्वारा

 अधिवक्ता

 दिनॉक

 ०.१५.७.२०

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या—१५ महोदय सुलतानपुर
रामशब्द मिश्रा बचाम 

साठ०सं०— / २०२० दायरा तिथि—

— ४१५१०७ ग्रन्थालय, विजय नगर (प.स.) (क्र.ल. १५८८) तालुका

रामेश्वर मंदिर

विकास पालक समिति

०२७३५

०१८५

श्रीविष्णुगिरि

२०. ०८. २०


५८५१ - ५८५२

१२०

१२०

६ अगस्त

विवाहितार्थी उत्तरा नजरी



उत्तरा नजरी

रामेश्वर मंदिर

Cubical Room

१५-७-२०

२८

28
१

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्षा सं0-15
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या- 692/20

१५७१०८ बनाम १७७१५
दिनांक १५७१२०

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ।
अपलोकित। अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो। वाद दिनांक १६/७/२० को
वारते बयान तहरीरी एंव दिनांक २४/७/२० को वारते विरचित किये जाने
वादविन्दु पेश हो। यिष्की को साधन जारी हो वादी पैरवी तीन दिन मे करे।

सिविल जज(प्रवर खण्ड),
कक्षा सं0-15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इमिनाई चन्द्ररोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2
जारी।

6ग2 शपथपत्र।

7ग2 प्रार्थनापत्र वर्णीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जारी। प्रस्तुत किया
गया।

१५७१२०

कैम्ब्रिज अंड ब्रिटिश कॉम्पनी

एसोसिएट्स एंड ब्रिटिश कॉम्पनी

कैम्ब्रिज १५.७.२०

कैम्ब्रिज हाई कोर्ट

नं०५

न्यायालय सिविल जज (प्र० ख०) — कक्ष संख्या—15, सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या—692/2020
रामशब्द — बनाम — विनोद आदि।

दिनांक—20.07.2020

प्रार्थना पत्र दिनांकित 20.07.2020 अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 जा० दी० प्रार्थी रामदेव द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थी वादी है। प्रार्थी श्रीमान जी के न्यायालय में दावा स्थायी व्यादेश का दावा दायर किया है। जिसमें महान त्रुटि हो जाने के कारण वाद पत्र में संशोधन जरिए दुरुस्त नहीं किया जा सकता है इसलिए वाद पत्र वापस किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दावा उठाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र वादी न्याय हित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र दिनांकित 20.07.2020 स्वीकार किया जाता है। वादी को दावा उठाये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय नियमानुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर करें।

20/07/2020
(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष संख्या—15
सुलतानपुर।

१

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या-15 महोदय सुलतानपुर

3/2
05- ८८३१२०

रामशब्द मिश्रा आयु लगभग 86 वर्ष सुत गनपत मिश्रा निवासी ग्राम पयागीपुर
तहसील सदर परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर —————— वादी

बनाम

1—अजीत तिवारी आयु लगभग 35 वर्ष सुत राधेश्याम निवासी झौवारा तहसील
लम्बुआ परगना मीरानपुर जिला सुलतानपुर

2— कैलाशा देवी आयु लगभग 70 वर्ष पत्नी कृष्णकान्त मिश्रा

3— सूर्यमणि मिश्रा आयु लगभग 50 वर्ष }
4— राजमणि मिश्रा आयु लगभग 40 वर्ष } सुतगण कृष्णकान्त मिश्रा

5— रामदत्त मिश्रा आयु लगभग 52 वर्ष सुत गनपत मिश्रा

निवासीगण ग्राम पयागीपुर तहसील सदर परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर

प्रतिवादीगण

साठवादसं—

/2020

दायरा तिथि—

दावा स्थायी व्यादेश

महोदय,

प्रार्थी निम्न प्रकार से निवेदन करता है :—

धारा 1—यह कि प्रार्थी/वादी निवासी निवासी ग्राम पयागीपुर तहसील सदर
परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर का स्थायी निवासी है अपने पूर्वजों के

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या-15 महोदय सुलतानपुर
तहसील सदर परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर वादी
बनाम अजीत तिवारी आदि
रामशब्द मिश्रा दायरा तिथि—
आठतालासं—
/2020 दायरा

समय से खेती बारी रिहायशी अखिलयार करता चला आ रहा है। जिस पर काबिज एवं दखील है।

धारा 2—यह कि विवादित भूमि का नक्शा नजरी दिया जा रहा है जो बरंग सुर्ख अक्षर अ, ब, स, द, य, र, ल, व से दर्शित किया गया है और सभी चीजों यथा स्थान दिखाया गया है जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है।

धारा 3—यह कि विवादित गाटा संख्या—107 रकबा—0.3150 तथा गाटा संख्या—31 रकबा—0.1510 है। जिसमें वादी प्रतिवादीगण 2 ता 5 का हिस्सा व स्वामित्व है। जिसमें अपने सुविधानुसार उपयोग उपभोग कर रहे और गाटा संख्या—107 में किसी को भी बैनामा व विक्रय नहीं किया गया है।

धारा 4—यह कि गाटा संख्या—31 की विवादित भूमि जुज भाग है जिसमें वादी और प्रतिवादीगण 2 ता 5 का तामीरात मकान कायम है जिसका वादी व प्रतिवादी सं0—2 ता 5 स्वामी है तथा कब्जा व दखल है।

धारा 5—यह कि विवादित भूमि गाटा संख्या—107 फोर लेन के किनारे स्थित है जिस पर नियत प्रतिवादी सं0—1 की खराब हो चुकी है और विवादित भूमि से प्रतिवादी का कोई वास्ता सरोकार किसी भी प्रकार से नहीं है।

धारा 6—यह कि विवादित भूमि वादी तथा प्रतिवादी सं0—2 ता 5 का सामिलात 1/3 हिस्सा है। जिस पर काबिज व दखील है।

धारा 7—यह कि गाटा संख्या—31 रकबा—0.1510 है। जिसमें सभी हिस्सेदारानों ने रकबा—0.1010 है। विक्रय किया है। शेष रकबा—0.050 है। पर अपना मकानियत तामीरात कायम किया है। जिस पर काबिज व दखील है। जिसकी चौहददी जानिब उत्तर रास्ता, जानिब पूरब रास्ता, जानिब दक्षिण शेष विक्रीत भूमि तथा जानिब पश्चिम शेष विक्रीत भूमि स्थित है। जिस पर प्रतिवादी नं0—1 कोई वास्ता सरोकार नहीं है न ही सम्पूर्ण आराजी के राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।

चायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०५०) कक्ष संख्या—15 महोदय चुलतानपुर अंजीत तिवारी आदि बनाम रामशंद मिश्र— / 2020 दायरा तिथि— साठवारो सं0—

३४

धारा 8—यह कि विवादित भूमि में दिनांक—10.07.2020 ई0 को प्रतिवादी सं0-1 नाप जोख व जे०सी०बी० मशीन लेकर खन, खोद एवं तामीरात को गिरा देने की नियत से कान्स्ट्रक्शन करने का प्रयास किया वादी को जानकारी होने पर पहुँचा और विरोध किया और जे०सी० बी० मशीन के ड्राइवर को नीचे उतारा जिस पर प्रतिवादी व उनके अराजक तत्वो द्वारा विरोध किया गया तथा अमादा फौजदारी हो गये। बगल के चौकी के हस्तक्षेप करने के पश्चात मामला शान्त हुआ लेकिन प्रतिवादी सरहंग किस्म का आदमी है। ऐलानिया धमकी दिया कि दोबारा आयेगे तो तामीरात को गिराकर कब्जा कर लेंगे। प्रतिवादी अपने बेजा हरकत से बाज आने को तैयार नहीं हैं इसलिए दावा दायर करना लाजिम हुआ है।

धारा 9—यह कि प्रतिवादी सं0-2 ता 5 का हित निहित है इसलिए प्रोफार्म डिफेन्ट बनाया जा रहा है।

धारा 10—यह कि वाद का मूल कारण दिनांक—10.07.2020 ई0 को प्रतिवादीगण द्वारा देने धमकी कर लेने कब्जा व निर्माण के पश्चात सुनवाई के क्षेत्राधिकार श्रीमान जी के न्यायालय में पैदा हुआ इसलिए दावा दायर किया जाना लाजिम हुआ है।

धारा 11—यह कि विवादित भूमि की मालियत मु0—1000000/रुपया कायम की जाती है चूंकि दावा स्थायी व्यादेश का है इसलिये 10,00000/रुपये का 1/5 भाग मु0—दो लाख रुपया होता है जिसकी अदायगी अधिकतम कोर्ट फीस मु0—500/रुपया अदा की जा रही है।

याचना

वादी निम्न याचना पाने का अधिकारी है—

अ— डिक्री दावा स्थायी व्यादेश बहक वादी प्रतिवादी सं0-2 ता 5 विरुद्ध प्रतिवादी सं0-1 इस अप्र की सादिर फरमाया जावे कि विवादित भूमि पर

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख) कक्ष संख्या—15 महोदय भुलतानपुर बनाम अजीत तिवारी आदि रामशब्द मिश्र सांवाद सं0-2 /2020 दायर तिथि—

३४३

न कोई निर्माण करे न कब्जा करे और न ही वादी के उपयोग उपभोग में
हस्तक्षेप करे।

ब— खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं०-१ से दिलाया जाय।

स— अन्य याचना जो न्यायालय श्रीमान जी उचित एवं आवश्यक समझे प्रदान
करे।

सराहत जायदाद

सराहत जायदाद गाटा संख्या-107 का सम्पूर्ण और गाटा संख्या-31 का
जुज भाग रक्का-0.050 हेठो स्थित ग्राम पयागीपुर तहसील सदर परगना
मीरानपुर जनपद सुलतानपुर जिसे वाद पत्र के साथ अक्षर अ, ब, स, द,
य, र, ल, व से प्रदर्शित किया जा रहा है।

प्रार्थी

२८७२

रामशब्द मिश्रा सुत गनपत मिश्रा
निवासी ग्राम पयागीपुर तहसील सदर
परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर

द्वारा

अधिवक्ता

दिनांक

मैं वादी स्वयं तस्दीक करता हूँ कि
वाद वाद पत्र धारा 1 ता 10 मेरे निजी
ज्ञान से सही व सत्य है इसमें न तो
कुछ झूठ है और न कुछ छिपाया गया
है और धारा 11 व याचना के सही
होने की उम्मीद करता हूँ। सच बोलने
में ईश्वर मेरी मद्द करे तस्दीक स्थान
दीवानी न्यायालय जनपद सुलतानपुर।
तस्दीक दिनांक—

२८७२

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र००३०) कक्ष संख्या-15 महोदय सुलतानपुर
अधीत तिवारी आदि—
वनाम—/२०२० तारीख तिथि—
जारीतानाम—
रामशब्द मिश्रा—
रामशब्द मिश्रा—

સુરત - કુલતાંકુર - રાજીવ પટેલ (બાળ વિદ્યાર્થી) ના. 15 ફોન્નિ - રાજીવ પટેલ


346

રામચન્દ્ર - બાદી
અંગીન આડી - પારિવાદીભાઈ
ના. ૩૩. ૮૦ / W
ના. ૪૨ -

N

E

દેખાવે નાના



Kiran (20.5) 10/10/2019
Document - U
Page - 1
Date - 10/10/2019

2 mali
સાધુબાબુથી
એચી. કુલતાંકુર
940 8-20

न्यायालय सिविल जज (प्रबर खण्ड) कक्ष सं0-15
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या- ८१३।२०

बनाम ३।३।५
८१३।३।५

दिनांक २५.७.२०

आज गठ वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ ।
अवलोकित । अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई देहु पेश हो ।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो । वाद दिनांक २५.७.२० को
वास्ते व्यापार तहरीरी एवं दिनांक ०१।०१।२० वास्ते विरचित किये जाने
वादविन्दु पेश हो । विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन दिन में करे ।

सिविल जज(प्रबर खण्ड),

कक्ष सं0-15, सुलतानपुर

५ग2 प्रार्थनापत्र हुक्म इमिनाई चन्द्रोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2
जारी ।

६ग2 शपथपत्र ।

७ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जारी । प्रस्तुत किया
गया ।

१

+

साकारा प्रस, सुलतानपुर

प्रापत्र जज (प्रबर खण्ड) कक्ष सं0-15
सुलतानपुर ।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या—15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या—883 / 2020
रामशब्द मिश्रा——बनाम——अजीत तिवारी आदि ।

दिनांक—24.08.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी विद्वान अधिवक्ता, को एक पक्षी रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, ब, स, द एवं य, र, ल, व नक्शा वाद पत्र को अपनी आराजी गाटा संख्या 107 का सम्पूर्ण एवं गाटा संख्या 31 का जुज अंश रक्बा 0.050हे0 वादी और प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 के रवानित्व की भूमि होना कहा है। प्रतिवादी संख्या 01 का वाद भूमि से कोई संबंध नहीं है। वह जबरदस्ती उस पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। वादी ने अपने कथन के समर्थन में सूची 9ग1/1 से आधार कार्ड की छायाप्रति 10ग1/1, उद्धरण खतौनी कागज संख्या 11ग1/1 ता 11ग1/10, भूचित्र की छायाप्रति कागज संख्या 12ग1/1 ता 12ग1/05 प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य उद्धरण खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि गाटा संख्या 107 एवं गाटा संख्या 31 पर वादी और प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 बतौर संकमणीय भूमिधर दर्ज है चूंकि गाटा संख्या 107 एवं गाटा संख्या 31 में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम दर्ज नहीं है। वाद भूमि के बावत वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है। अतः ऐसे में यदि अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया जाता है और प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वाद भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है तो इससे वादी का दावा दायर करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। अतः अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे वाद भूमि गाटा संख्या 107 का सम्पूर्ण एवं गाटा संख्या 31 का जुज अंश रक्बा 0.050हे0 स्थित ग्राम पयागीपुर, तहसील सदर, परगना मीरानपुर, जनपद सुलतानपुर पर नियत दिनांक तक यथास्थिति बनाये रखें। वादी आदेश 39 नियम 3 सि0 प्र0 सं0 का अनुपालन करें। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। शेष प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में यदि कोई विक्षय विलेख गाटा संख्या 107 का सम्पूर्ण एवं गाटा संख्या 31 का जुज अंश रक्बा 0.050 हे0 में निष्पादित किया गया हो तो उक्त आदेश प्रतिवादी संख्या 01 पर प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली वार्ते निरस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 24.09.2020 को पेश हो।


(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०—15
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कर्मीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अग्रीण को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सुचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कर्मीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

१५.०८.२०

(सदीप कुमार)
सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं-०-१५
सुलतानपुर।

27/11/20

01/10/20

दोषका जमानत

०१
०२
२१

27/11/20 -
2. १. १)

Jayant (C)
31/02/21

वादकः -
27-11-20

स्वीकार (प्र० ख०)

अविलम्ब करे 27/11/20

का दिन एवं वाद का दिन

दिन

27-11-20

महिना पा तारीखा है

स्वीकार नियमानुसार दिन अन्तर

दिनों की वापर

०३ - ०३०२ - २१ की

वादके जमानत तारीख है

प्राप्ति ग्रहण

C. १६१५.

१८ जू अमावस्या तारीख है
३१ फिरे ५ वार्षिक १० जू
प्राप्ति ग्रहण १९ जू वार्षिक १० जू
२० जू कठोरिक ले कामज़ोध
कीले ग्रहण २१ ता २२ जू वार्षिक १० जू

३१ फिरे २२ वार्षिक ग्रहण की आवश्यक
वार्षिक २२ वार्षिक ग्रहण १८ जू

C. १६१५.

05.10.2021 20

ପିଲାମ୍ବ
କାନ୍ଦିରି
ଶୁଦ୍ଧ

03-02-21 - ଯୁଗିତ ଏହି ଚିତ୍ର
ଅଳିଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଆମିଲାଇଟ୍
ପ୍ରକାଶ କେବଳ କିମାନ
P-09-09-04-21
ବାଲ୍ ବ୍ୟାପିକ ଜୀବନ
ପାତାଳ 17 ମୂର ଦେଖାଇଲା
T-1-ପାତାଳ
C-09-05.

୩
୦୫

09-06-21 - ଶୀଘ୍ର ପାତାଳକୁ
P-31-05-21
ବାଲ୍ ବ୍ୟାପିକ 5 ମୂର
17 ମୂର ଦେଖାଇଲା T-1.
ପାତାଳର ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ
C-06-05.

सुलतानपुर सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या-883/2020
बनाम अजीत तिवारी ।

रामशब्द

दिनांक-01.03.2021

प्रार्थना पत्र दिनांकित 23.02.2021 वादी की ओर से अन्तर्गत धारा-151 जाऊदी न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश का अनुपालन जरिये पुलिस कराये जाने हेतु इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। प्रतिवादीगण को न्यायालय आदेश की पूरी जानकारी है बावजूद वे न्यायालय आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। भागे की पुलिस न्यायालय आदेश के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रही है। अतः न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन जरिये पुलिस कराने की कृपा की जाय।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2020 को उभयपक्षों को वादभूमि की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया गया है। वादी के अनुसार प्रतिवादीगण न्यायालय आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में न्यायहित में प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

शानाध्यक्ष कोतवाली नगर को आदेशित किया जाता है कि वे न्यायालय आदेश दिनांक 24.08.2020 का अनुपालन नियगानुसार मौके पर कराया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई नियत दिनांक को पेश हो। आदेश की प्रति संबंधित को मय आवश्यक प्रपत्रों के साथ अनुपालन हेतु भेजी जाय।

10/03/21
(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-१५
सुलतानपुर।

सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष
सुलतानपुर
दिनांक 01.03.2021
प्रतिवादी गण
अजीत तिवारी